E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–06 / 2024..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं0–687 दिनांक–06.02.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री रोहन कुमार, (Emp. ID No.- AEN00977), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

श्री रोहन कुमार के नियोजन उपरान्त इनके द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्रों की जाँच / सत्यापन के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा दाखिल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न अर्थात् Diploma in Civil Engineering के स्थान पर Bhu-Mapak (Amin) का है, जो प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न है।

निर्धारित न्यूनतम योग्यता से भिन्न प्रमाण–पत्र दाखिल कर नियोजन प्राप्त किये जाने के विरूद्ध भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिनांक–07.07.2023 को अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अपीलार्थी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण दाखिल किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि मेरे प्रमाण पत्र को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा उसके आधार पर कॉउन्सलिंग कर मेधा सूची में शामिल किया गया। मैं नियोजन के बाद 03 वर्षों से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूँ। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिए गए तर्कों को अस्वीकार करते हुए भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी के कथन, अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील एवं संलग्न अभिलेख की विवेचना किया गया, विवेचनोपरान्त पाया कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01 / 2019 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित किया गया है तथा मैट्रिक एवं सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना कर नियोजन करने का प्रावधान किया है। निर्धारित न्यूनतम योग्यता से भिन्न Bhu-Mapak (Amin) के अंकों की गणना कर नियोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या–687 दिनांक–06.02.2024 में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का दावा अमान्य। अपीलवाद अस्वीकृत।

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–06 / 2024......1316......**पटना, दिनांक :–** 05/08/2024

प्रतिलिपिः– श्री रोहन कुमार, (Emp. ID No.- AEN00977), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा, Email ID- rohan5936kr @gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–06/2024....13761....**पटना, दिनांक :–**05/08/2024

प्रतिलिपि:– बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–06/2024....13761....**पटना, दिनांक :–**05/08/2024

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–06/2024....13761....**पटना, दिनांक :–**05/08/2024

प्रतिलिपि:– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–06/2024....13761....**पटना, दिनांक :–**05/08/2024

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–06/2024....13761....**पटना, दिनांक :–**05/08/2024

प्रतिलिपि:– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप